भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3077

13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में एबी-पीएमजेएवाई का कार्यान्वयन

3077. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में रुणता और जनसांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पात्र परिवारों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के प्रीमियम में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के प्रारंभ से अब तक उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आबंटित निधि और व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में पीएमजेएवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लंबित दावों/बकाया भुगतानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस कार्यक्रम के अत्यधिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए राज्य को कोई अतिरिक्त सहायता देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और योजना की मौजूदा नीति के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा की जाती है। केरल राज्य में केंद्र के हिस्से और राज्य के हिस्से में 60:40 का अनुपात है। अनुदान

सहायता में केंद्र सरकार का हिस्सा योजना के लाभार्थी परिवारों के उपचार की वास्तविक लागत या भारत सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा राशि (वर्तमान में प्रति परिवार प्रति वर्ष 1052 रुपये) जो भी कम हो, के लिए उपरोक्त साझा पैटर्न अनुपात पर आधारित है। अब तक की स्थिति के अनुसार, अधिकतम सीमा राशि से अधिक किसी भी अतिरिक्त व्यय को वर्तमान लागू दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक नई निधि जारी करने से पहले पूर्व में प्राप्त निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

केरल राज्य में, राज्य की अपनी स्वास्थ्य आश्वासन योजना एबी-पीएमजेएवाई के साथ मिलकर लागू की गई है। कुल पात्र परिवारों की कुल संख्या 41.83 लाख है। इनमें से 23.97 लाख परिवारों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा सहायता दी जाती है। शेष परिवारों को राज्य योजना के तहत सहायता दी जाती है और इन परिवारों के उपचार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना की शुरुआत के बाद से एबी-पीएमजेएवाई के तहत केरल राज्य को जारी किए गए निधियों के केंद्रीय हिस्से का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, दावों का निपटान राज्य सरकार के अधीन संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

अनुलग्नक

योजना की शुरुआत से एबी-पीएमजेएवाई के तहत केरल राज्य को केंद्रीय हिस्से में जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	**एबी-पीएमजेएवाई परिवारों के लिए केंद्रीय हिस्से में जारी की गई निधियां**
2018-19	25
2019-20	97.56
2020-21	145.61
2021-22	138.90
2022-23	151.34
2023-24	155.49
2024-25	151.34

****